राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद स0 : 5 सन 2018

अनवान :–

1. दलीप कुमार पुत्र हनुमान जाति सुथार साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र मनीराम जाति सुथार निवास फेफाना तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 166/146 की कुल 13.3920हैक एवं इसी चक के खाता संख्या 167/142 की कुल 2.5290हैक एवं खाता संख्या 168/145 की कुल 4.2970हैक भूमि जिसके मनीराम पुत्र हेमराज उर्फ हेमाराम खातेदार काश्तकार थे।

मनीराम पुत्र हेमराज उर्फ हेमाराम फोत हो चुके है जिसके वारिसान एवं दस्तवरदारी के उपरान्त उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 166/146 की 2.990हैक मद संख्या 4 के अनुसार एवं शेष खातों में बहिब दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरासतन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजनीमा पेश किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा मनीराम पुत्र हेमराज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के वाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया गया है जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 166/146 की कुल 2.998हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी के

खाता संख्या 167/142 की कुल 2.5290हैक , एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 168/145 की कुल 4.2970हैक दोनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–फेफाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. दलीप कुमार पुत्र हनुमान जाति सुथार साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 हनुमान पुत्र मनीराम जाति सुथार निवास फेफाना तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 5 सन 2018 निर्णय दिनांक–07.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 166/146 की कुल 2.998हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 167/142 की कुल 2.5290हैक , एवं रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 168/145 की कुल 4. 2970हैक दोनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/7 हिस्सा भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–फेफाना